UPKS060000762006

न्यायालय सिविल जज(क० श्रे०) त्वरित न्यायालय-II , कौशाम्बी
उपस्थित- शिवेन्द्र शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
मूल वाद संख्या- 14/2006

बेलपति पत्नी विपत, निवासी तरना, परगना व तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी (मृतक)

(1) पितई उम्र 45 वर्ष पुत्र वित्ता

(2) गोलई उम्र 32 वर्ष पुत्र वित्ता

(3) रामसखी उम्र 40 वर्ष पुत्र वित्ता

समस्त निवासीगण तरना, परगना व तहसील चायल, जनपद–कौशाम्बी।

... ... वादीगण

बनाम

1.घनश्याम मिश्रा उम्र 50 वर्ष पुत्र छोटे लाल, निवासी तरना, परगना व तहसील चायल, जनपद– कौशाम्बी

2.मिन्टू मिश्रा 25 वर्ष पुत्र घनश्याम मिश्रा, निवासी तरना, परगना व तहसील चायल, जनपद– कौशाम्बी

... ...प्रतिवादीगण

–:निर्णय:–

1.प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

2. वादीगण का वाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि नजरी नक्शा में लाल रंग से प्रदर्शित अक्षर क, ख, ग, घ, च, छ वादिनी सेहन तथा वादी के पूर्वजों द्वारा लगाया नीम का पेड़ व काली जी का थान है, जिसकी वादिनी मालिक काबिज दखील है। वादिनी का यह मकान वादिनी के पूर्वजों द्वारा बनाया गया है तथा छाया के लिए एक नीम का पेड़ तथा पूजा के लिए काली जी स्थान बनाया गया है।

3. वादिनी अपने पूर्वजों के समय उक्त मकान व सेहन तथा पेड़ का उपयोग उपभोग करती है तथा काबिज व दखील है। प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कभी भी कोई वास्ता व सरोकार नही रहा है। प्रतिवादीगण का मकान विवादित स्थल से काफी दूर स्थित है, लेकिन अपनी शोरे पुश्ती एवं गांव के कुछ अराजक तत्वों के बहकावे में आकर वादीगण की विवादित भूमि सेहन पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण दिनांक 05.01.2006 को गांव को कुछ दबंग व्यक्तियों के साथ विवादित स्थल पर आये और उस पर जानवर बांधने का खूंटा आदि गाड़ना प्रारम्भ कर दिया, जिस पर वादिनी ने आपत्ति किया और गांव के संभ्रान्त व्यक्तियों को इकट्ठा किया, जिस पर सभी लोगों ने प्रतिवादीगण के अन्यायपूर्ण कार्य को रोका तथा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर हस्तक्षेप किया। प्रतिवादीगण उस समय तो चले गये, लेकिन जाते–जाते यह धमकी दिया कि आज तो नहीं पर हम लोग इस जमीन पर जबरन कब्जा करके जानवर बांधेगे तथा जमीन की नवैयत में परिवर्तन कर देंगें। प्रतिवादीगण की इस हरकत की शिकायत थाना सरांय अकिल में दिया, परन्तु वादिनी की सुनवाई नहीं हुई। वादिनी को हक प्राप्त है कि माननीय न्यायालय के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा दाखिल करके सदैव के लिए मना कर दे कि विवादित भूमि क, ख, ग, घ, च, छ पर प्रतिवादीगण वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में न तो हस्तक्षेप करें और न ही विवादित भूमि में जानवर बांधने का खूंटा आदि गाड़े और न ही नवैयत में परिवर्तन करें और न ही विवादित भूमि पर स्थित नीम का वृक्ष को काटें।

4. प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या–16 क में वादपत्र के सभी अभिकथनों का खण्डन किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अतिरिक्त कथन किया गया है कि वादिनी ने वादपत्र के साथ जो नक्शा नजरी संलग्न किया है, वह बिल्कुल मौका खिलाफ, गलत, असत्य व भ्रामक है। वादग्रस्त मकान या भूमि से वादिनी का कभी कोई वास्ता व सरोकार नहीं था और न आज ही है। वादग्रस्त वृक्ष या खाली स्थान में भी वादिनी के पूर्वजों का कभी भी मालकाना हक नहीं था और न ही आज ही है। वाद का मूल्यांकन वादिनी द्वारा बहुत कम किया है। वास्तव में दावा वाली सम्पत्ति की कीमत कम से कम 25000/– रू. होती है। दावा वादिनी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 3 सी.पी.सी. के अन्तर्गत निरस्त योग्य है, क्योंकि दावा वाली सम्पत्ति शिनाख्त योग्य नहीं है। दावा वाली सम्पत्ति में आवश्यक पक्षकार अंगनू व क्षेत्रपाल भी है तथा ग्रामसभा की आबादी भूमि है, जो आवश्यक पक्षकार है, आवश्यक पक्षकार के असंजोजन के कारण भी दावा दूषित है एवं पोषणीय नहीं है एवं निरस्त होने योग्य है। दावा न्यून मुल्यांकित है एवं वाद का कभी कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ, इस कारण दावा आदेश 7 नियम 3. सी.पी.सी. के अन्तर्गत निरस्त होन योग्य है। दावा वादिनी

धारा 34, 40. 41 स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट के अन्तर्गत बाधित है एवं पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण धारा 35–ए सी.पी.सी. के अन्तर्गत विशेष हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

5. उभयपक्ष के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 14.11.2007 को विरचित किये गये:

1. Whether the plaintiff is in possession of disputed Sehan and tress and Devsthan shown by letters Ka, Kha, Ga, Gha, Cha, Chha and is owner also ?

2. Whether the suit is under valued ?

3. Whether the paid court fees is insufficient ?

4. Whether this court has got jurisdiction to try this suit ?

5. Whether the suit is barred by non– joinder of parties?

6. Whether the suit is barred by order 7 rule 3 ?

7. Whether the suit is barred by order 7 rule 11 (regarding cause of action) ?

8. Whether the suit is barred by section 34, 41, 40 of specific relief Act 1963 ?

9. Whether the plaintiff is entitled for any cost under section 35A of C.P.C. ?

6. उपरोक्त विरचित वाद बिन्दुओं का हिन्दी अनुवाद निम्नवत है:–

1. क्या वादीगण वादग्रस्त समपत्ति जिसे सेहन, पेड और देवस्थान के रूप में अक्षर क,ख,ग,घ,च,छ से वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है, उसके मालिक काबिज व दखील हैं?

2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

3. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

4. क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है?

5. क्या वाद पक्षकारों के असंयोजन से बाधित है?

6. क्या वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 3 C.P.C. से बाधित है?

7. क्या वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.(वाद का कारण न होना) से बाधित है?

8. क्या वादीगण का वाद धारा–34, 41 40 विनिर्दिष्ट अनुतोश अधिनियम से बाधित है?

9. क्या वादीगण धारा–35A सी.पी.सी. के अंतर्गत किसी मूल्य को पाने की हकदार हैं?

7. उपरोक्त वाद–बिन्दुओं के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य दाखिल किये गये एवं कार्यवाही नियमानुसार अग्रसारित की गई।

8. वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों की सूची कागज संख्या–8 ग से राशन कार्ड तथा मतदाता सूची प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में रामसखी पी.डब्ल्यू–1 के रूप में तथा भैरव पी.डब्ल्यू–2 के रूप में प्रस्तुत व परीक्षित कराया गया है। पत्रावली में वादीगण की ओर साक्षी वैद्यनाथ का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। किन्तु उक्त साक्षी से प्रतिवादीगण द्वारा प्रति परीक्षा नहीं की गई।

9. प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में घनश्याम डी.डब्ल्यू–1 के रूप में तथा छत्रपाल डी.डब्ल्यू–2 के रूप में प्रस्तुत व परीक्षित कराया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से साक्षी त्रिभुवननाथ पाण्डेय का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु उक्त साक्षी से वादीगण द्वारा प्रति परीक्षा नहीं की गई।

10. वादीगण के अधिवक्ता द्वारा मौखिक बहस प्रस्तुत नहीं की गई। वादीगण के अधिवक्ता को लिखित बहस दाखिल करने हेतु अवसर प्रदान किया गया किन्तु उनकी ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

:– निष्कर्ष–:

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1–

11. वाद बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण वादग्रस्त समपत्ति जिसे सेहन, पेड और देवस्थान के रूप में अक्षर क, ख, ग, घ, च, छ से वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है, उसके मालिक काबिज व दखील हैं?**

12. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा वादपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि वादीगण वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा बरंग लाल से प्रदर्शित अक्षर क, ख, ग, घ, च, छ के वादीगण मालिक काबिज व दखील हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति वादीगण की सेहन भूमि है जिसपर पेड व काली जी का थान बना है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त सम्पत्ति से कोई हक नहीं है।

13. प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के अभिकथनों का खण्डन करते हुए यह कथन किया गया कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादीगण द्वारा कभी कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक बहस में यह कथन किया गया कि प्रतिवादीगण का माकान वादग्रस्त सम्पत्ति से काफ़ी दूर स्थित है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पहचान योग्य नहीं है।

14. इस प्रकार उभय पक्ष के उपरोक्त अभिकथन एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सर्वप्रथम यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या वादीगण स्वयं द्वारा बताई गई भूमि के मालिक व काबिज़ हैं ? इस संबन्ध में पी०डब्ल्यू०–1 रामसखी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं चार बहन हूं। मेरे दो भाइ हैं कोलई और मोलई। कोलई अपने हिस्से का मकान दो तीन साल पहले बाट लिया था तथा अपने हिस्से हिस्से के मकान गांव के धर्मनरायण शुक्ला को बेंच दिया था। मोलई अपने मकान में अपने परिवार व बच्चों के साथ रह रहा है। मोलई अपने बाप दादा पूर्वजों के मकान में रह रहा है। मोलई के पास इस पूर्वजी मकान के अलावा और कोई मकान नहीं है। मोलई के पूर्वजी मकान का दरवाजा उत्तर तरफ़ है।

15. इसी प्रकार पी०डब्ल्यू०–2 भैरव ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि बेलपति मेरी माता जी हैं बेलपति के दो लडके मोलई व कोलई हैं। चार लडकियां हैं। बेलपति का मौजा तरना में एक ही मकान है जो खण्डहर की शक्ल में है। बेलपति के खण्डहर मकान के पूरब अर्जुन पासी है, पश्चिम सम्भर का है, उत्तर श्यामलाल कोरी का है, दक्षिण मिठाई लाल पासी का है। बेलपति का खण्डहर मकान रहने की स्थिति में नहीं है। बेलपति का लडका मोलई तरना गांव में रह रहा है। मोलई के मकान का दरवाज़ा पश्चिम तरफ़ है। पूरब दानी पण्डित है उत्तर तुफ़ानी पासी दक्षिण में कोरी और दानी पण्डित का मकान है। लम्बाई चौडाई नहीं बता सकता। रामसखी मेरी बहन है।

16. वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में मूल वादिनी की मृत्यु हो जाने के पश्चात 1/1 ता 1/3 बतौर वादीगण प्रतिस्थापित हुए। वादी संख्या–1/3 रामसखी है और उन्होंने बतौर पी०डब्ल्यू०–1 प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि वादीगण दो भाई एवं चार बहनें हैं। प्रस्तुत मामले में केवल एक बहन रामसखी बतौर वारिस प्रतिस्थापित हुई अन्य तीन बहनों की कोई स्थिति वादीगण द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है।

17. विवादित भूमि वादिगण द्वारा नक्शा नज़री में क ख ग घ च छ जिसे सेहन के रूप में प्रदर्शित किया है किन्तु उक्त सेहन भूमि की वादीगण द्वारा कोई माप नहीं दर्शाई है। वादीगण द्वारा अपने मकान के दक्षिण क्या है यह भी दर्शित नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा न तो अपने मकान की कोई माप दी है और न ही वादग्रस्त

भूमि के आस पास प्रतिवादी की भूमि प्रदर्शित है। भैरव ने बतौर पी०डब्ल्यू० –2 के रूप में जिरह में वादग्रस्त सम्पत्ति की जो चौहद्दी बताई गई है वह वादिगण द्वारा दाखिल नक्शा नज़री से बिल्कुल इतर है। वादीगण द्वारा पूरब में सम्भर पासी का मकान दर्शाया गया है किन्तु भैरव ने अपनी जिरह में पूरब में अर्जुन पासी का मकान बताया है। इसी प्रकार उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त समपत्ति पर इस समय मोलई रह रहा है और मोलई के मकान का दरवाज़ा दक्षिण तरफ़ है किन्तु वादीगण द्वारा नक्शा नज़री में जो दरवाज़ा दर्शाया गया है वह वादी के घर के अंदर प्रदर्शित है क्योंकि वादीगण द्वारा क ख ग घ च छ को अपना मकान व सेहन दर्शाया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबन्ध में वादीगण द्वारा स्वामित्व का श्रोत (Source of Title) साबित नहीं है। अतः वादीगण का वादीगण के ही मौखिक साक्ष्य से विवादित भूमि पर कब्जा दखल व स्वामित्व होना साबित नहीं है।

18. प्रतिवादीगण की तरफ से विवादित भूमि पर अपना कब्जा व दखल साबित करने हेतु डी0 डब्लू–1 के रूप में घनश्याम का साक्ष्य शपथपत्र 31क दाखिल है। डी०डब्ल्यू०–1 घनश्याम नें अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि "वादग्रस्त सम्पत्ति पूर्व से क्रमशः अंगन व क्षत्रपाल नामक व्यक्ति की थी जिसमें से वादग्रस्त सम्पत्ति का पश्चिमी अंश क्षत्रपाल का था तथा वादग्रस्त सम्पत्ति का पूर्वी अंश अंगन नामक व्यक्ति का था। वादग्रस्त सम्पत्ति में अंगन का मकान व क्षत्रपाल का मकान बिल्कुल एक दूसरे से संलग्न था जिससे क्षत्रपाल व अंगन ने उस वादग्रस्त मकान की माकूल कीमत प्रतिवादी से प्राप्त करके प्रतिवादी के हक में गांव के ही तहरीर लिखकर मौके पर प्रतिवादी को कब्जा दखल प्रदान कर दिया है।"

19. डी०डब्ल्यू०–1 घनश्याम नें अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति को प्रतिवादी ने पहले अंगन से प्राप्त किया। अंगन से जो जमीन प्राप्त किया है उसके उत्तर मिट्ठू का मकान है पूरब रास्ता वादहू अर्जुन का मकान है पश्चिम क्षत्रपाल का मकान है दक्षिण राम गुलाम का था सुरेश नरायण ने खरीद लिया था।

20. उक्त के संबन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 19ग से छायाप्रति विक्रय पत्र अंगन व छायाप्रति विक्रय पत्र क्षत्रपाल दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किया गया है वह छायाप्रति है जो कि साक्ष्य में विधितः ग्राह्य नहीं है।

21. वादीगण व प्रतिवादीगण दोनो का विवादित भूमि के बावत कोई स्वामित्व का श्रोत (Source of Title) साबित नहीं है।

22. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत व परीक्षित उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण के उपरांत न्यायालय का मत है कि विवादित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में

वादीगण का कोई स्वामित्व का स्रोत (Source of Title) साबित नही है। अतः विवादित भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के पक्ष में कोई स्वामित्व का स्रोत (Source of Title) के अभाव में विवादित भूमि के सम्बन्ध में वादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण ने अपने स्वयं के मौखिक साक्ष्य से व अपने अन्य साक्षियों के साक्ष्य से विवादित भूमि पर अपना कब्जा व दखल व स्वामित्व का स्रोत (Source of Title) साबित नहीं कर सका है। विवादित भूमि पर वादीगण को अपना कब्जा व दखल अपने स्वयं के साक्ष्य से साबित करना है। प्रतिवादी की कमियों का लाभ वादी नही ले सकता है। जिसे वादीगण अपने स्वयं के साक्ष्य से साबित नही कर सके हैं।

23. अतः उपरोक्त आधार पर वादीगण विवादित सम्पत्ति पर अपना कब्जा व दखल को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वाद बिन्दु संख्या–1 वादीगण के विरूद्व निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02, 03 व 04 –</u>

24. वाद बिन्दु संख्या–02 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?** वाद बिन्दु संख्या–03 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?** वाद बिन्दु संख्या–04 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?**

25. उक्त वाद बिन्दुओं का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 10.12.2007 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 05–</u>

26. वाद बिन्दु संख्या–05 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वाद पक्षकारों के असंयोजन से बाधित है?**

27. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या–16 क के प्रस्तर 28 में यह कथन किया है कि यह वाद पक्षकार के असंयोजन से बाधित है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई सारवान प्रलेख इस संबन्ध में दाखिल नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रस्तुत दावा पक्षकारों के असंयोजन से बाधित है। अतः उक्त वाद बिन्दु नकारात्मतः निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 06:–</u>

28. वाद बिन्दु संख्या 06 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 3 सी.पी.सी. से बाधित है?**

29. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण मे अपने लिखित कथन कागज संख्या– 16क की धारा–29 में यह कथन किया है कि वादी का दावा आदेश 7 नियम 3 जा०दी०, से बाधित है।

यहाँ आदेश 7 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लेख आवश्यक होगा, जो निम्नरूपेण है–

जहाँ वाद की विषय–वस्तु स्थावर संपत्ति है – *जहाँ वाद की विषय–वस्तु स्थावर संपत्ति है वहाँ वादपत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है और उस दशा में जहाँ ऐसी संपत्ति की पहचान भू –व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख में की सीमाओं या संख्यांकों द्वारा की जा सकती है, वादपत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे।*

30. उक्त वर्णित विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 3 सी०पी०सी० के संबन्ध में वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति को देखा जाना होता है, जिसको सीमाओं या संख्याओं के द्वारा उसकी पहचान की जा सके। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नज़री में वादग्रस्त सम्पत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शित नहीं किया गया है। वादीगण की ओर से वादग्रस्त सम्पत्ति की कोई माप भी नहीं दर्शाई गई है। वादग्रस्त सम्पत्ति के दक्षिण की ओर किसका हिस्सा है यह भी दर्शित नहीं है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति की चौहद्दी सीमाओं द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है।

31. अतः वाद–बिन्दु संख्या–06 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 07:–</u>

32. वाद बिन्दु संख्या 07 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या **क्या वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 C.P.C.(वाद का कारण न होना) से बाधित है?**

33. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण मे अपने लिखित कथन कागज संख्या– 16क प्रस्तर–25 में यह कथन किया है कि वादीगण को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ था। अतः दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता से बाधित है।

34. यद्यपि कि वाद हेतुक पद को सिविल प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि विधिज्ञों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पद को परिभाषित किया गया है, जिसका प्रथमतः उल्लेख समीचीन होगा।

35. हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैण्ड (चतुर्थ संस्करण) में वाद हेतुक को ऐसी तथ्यात्मक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके अस्तित्ववान होने पर एक व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का हक़दार होता है। उक्त परिभाषा निम्नरूपेण शब्दशः वर्णित है–

> "Cause of action has been defined as meaning simply a factual situation the existence of which entitles one person to obtain from the Court a remedy against another person. The phrase has been held from earliest time to include every fact which is material to be proved to entitle the plaintiff to succeed, and every fact which a defendant would have a right to traverse. 'Cause of action' has also been taken to mean that particular act on the part of the defendant which gives the plaintiff his cause of complaint, or the subject matter of grievance founding the action, not merely the technical cause of action".

36. उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की तरफ से ऐसा कोई सारवान प्रलेख व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के प्रावधान से वादीगण का वाद बाधित है। वादपत्र के प्रस्तर 6 में वादीगण का कथन है कि वाद कारण दिनांक–05.01.2006 को अन्तर्गत न्यायालय क्षेत्राधिकार उत्पन्न हुआ।

37. उपरोक्त आधार वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 से बाधित होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण उक्त वाद बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अतः वाद बिन्दु संख्या–07 नकारात्मतः निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 08:–</u>

38. वाद बिन्दु संख्या 08 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या **क्या वादीगण का वाद धारा–34, 41 40 विनिर्दिष्ट अनुतोश अधिनियम से बाधित है?**

39. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या–16 क के प्रस्तर–30 में यह कथन किया है कि दावा वादीगण धारा– 34, 41 40 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि0 से बाधित है।

40. उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई बल नही दिया गया है तथा न ही कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादीगण द्वारा बल न दिये जाने के कारण व साक्ष्य अभाव में प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। वाद बिन्दु सं० 1 पर निष्कर्ष मेरे द्वारा दिया जा चुका है। उक्त वाद बिन्दु सं० 08 वाद बिन्दु सं० 1 में दिए गए निष्कर्ष के आधार पर ही देखा जाएगा। तदनुसार वाद बिन्दु सं० 08 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 09:–

41. वाद बिन्दु संख्या 09 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण धारा–35A सी.पी.सी. के अंतर्गत किसी मूल्य को पाने की हकदार है?**

42. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

43. यहां धारा 35 ए सी.पी.सी. का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा–

Section 35A C.P.C. :-

Compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defenses.

(1) If any suit or other proceedings 2[including an execution proceedings but 3[excluding an appeal or a revision]] any party objects to the claim of defence on the ground that the claim or defence or any part of it is, as against the objector, false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter, as against the objector, such claim or defence is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the Court, 4[if it so thinks fit] may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an Order for the payment the object or by the party by whom such claim or defence has been put forward, of cost by way of compensation.

(2) No Court shall make any such Order for the payment of an amount exceeding 5[three thousand rupees] or exceeding the limits of it pecuniary jurisdiction, whichever amount is less:

Provided that where the pecuniary limits of the jurisdiction of any Court exercising the jurisdiction of a Court of Small Causes under the

Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (9 of 1887) 6[or under a corresponding law in force in 7[any part of India to which the said Act does not extend]] and not being a Court constituted 8[under such Act or law], are less than two hundred and fifty rupees, the High Court may empower such Court to award as costs under this section any amount not exceeding two hundred and fifty rupees and not exceeding those limits by more than one hundred rupees: Provided, further, that the High Court may limit the amount or class of Courts is empowered to award as costs under this Section.
(3) No person against whom an Order has been made under this section shall, by reason thereof, be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defence made by him.
(4) The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defence shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defence.

44. प्रस्तुत प्रकरण में यदि यह मान लिया जाए कि उक्त वाद बिन्दु विरचन के समय त्रुटिवश प्रतिवादी की जगह वादी शब्द अंकित हो गया है तो भी इस अनुतोष को देने का कोई आधार नही है क्योंकी प्रतिवादी ने अपनी बहस के दौरान इस वाद बिन्दु पर कोई बल नहीं दिया गया।

45. उक्त धारा के अभिपठन से यह निष्कर्षित है कि यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह उक्त धारा के अंतर्गत पक्षकारों को कोई अनुतोष प्रदान करे अथवा नहीं। प्रत्येक निरस्तीकृत वाद झूठा व फ़र्जी ही नहीं होता। कई बार वादी अपने अधिकारों के लिये न्यायालय आता है और यदि वह मुकदमा हार जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसका वाद झूठे व फ़र्जी तथ्यों पर आधारित था। प्रस्तुत प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता कि वाद झूठे व फ़र्जी तथ्यों पर आधारित था।

46. तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-09 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

47. वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है। वादीगण प्रतिवादीगण की कमियों का लाभ नही ले सकते हैं। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **हबीबबुल्लाह बनाम मो0 यासीन आदि द्वितीय अपील संख्या 958 वर्ष 1980 निस्तारित 12 दिसम्बर 1994** के मामले में व **Moran Mar Basselios Catholics & another V. Most. Rev. Mar Poulose Athnnasina & others (A.I.R**

1954 S.C. Page 526) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि विनिश्चय प्रतिपादित किया गया है।

48. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विश्लेषण पश्चात तथा वाद बिन्दु सं० 1 लगायत 09 पर दिए गए निष्कर्षों के पश्चात न्यायालय का मत है कि वादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपना कब्जा व दखल साबित करने में असफल रहें हैं। वादीगण याचित अनुतोष के बावत अपना दावा अपने स्वयं के साक्ष्य से साबित करने में असफल रहें हैं। अतः वादीगण याचित अनुतोष को पाने का अधिकारी नहीं हैं। अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते स्थाई व्यादेश निरस्त किए जाने योग्य है।

-:आदेश:-

49. प्रस्तुत मूल वाद संख्या–14/2006 निरस्त किया जाता है। पक्षकार वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक– **17.09.2022**

(शिवेन्द्र शर्मा)
सिविल जज(क०श्रे०)/
त्वरित न्यायालय–II,
कौशाम्बी
J.O. Code– UP3792

50. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक– **17.09.2022**

(शिवेन्द्र शर्मा)
सिविल जज(क०श्रे०)/
त्वरित न्यायालय–II,
कौशाम्बी
J.O. Code– UP3792

Digitally signed by Shivendra Sharma
Date: 2022.09.19 15:28:33 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court